

27.09.17

Pleaders when
necessary

केन्द्रीय फाइलिंग काउन्टर गोहद से विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद के अवकाश पर होने से और उनके अवकाश पर होने पर आवश्यक कार्यभार इस न्यायालय पर होने के कारण आवेदक बहादुर सिंह की ओर से प्रस्तुत नियमित प्रतिभूति वास्ते आवेदन अंतर्गत धारा 439 दफ़्तसं प्राप्त।

प्रकरण विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे। एवं उक्त आवेदन विशेष प्रकरण क्रमांक 94/2016 से संबंधित है।

उक्त आवेदन सुनवाई हेतु विशेष प्रकरण क्रमांक 94/2016 के साथ कुछ समय पश्चात पेश हो।

(डॉ० कलदीप जैन)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत),
मिण्ड (म.प्र.)

पुनश्च:

आवेदक न्यायिक निरोध में द्वारा श्री रामनिवास राठौर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधि० उप०।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन की नकल परिवादी अधिवक्ता श्री मुकेश दुबे को प्रदान की गई।

अभिलेख प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष को अभियुक्त के जमानत आवेदन-पत्र सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से श्री रामनिवास राठौर अधिवक्ता ने जमानत आवेदन एवं मेमो भी पेश किया। जिसमें यह लेख किया है कि उनका यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है।

उभय पक्ष को अभियुक्त के जमानत आवेदन-पत्र सुना गया।

(डॉ० कलदीप जैन)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत),
मिण्ड (म.प्र.)

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|---|---|
| | <p>प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>अभियुक्त ने निवेदन किया कि उसके द्वारा विद्युत चोरी की राशि 25951/-रूपये विद्युत विभाग में बुक क्रमांक 30851 रसीद क्रमांक 329 पर जमा कर दी है और उक्त आधार पर स्वयं को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। परिवादी अधिवक्ता ने भी उक्त तथ्य स्वीकार किए हैं।</p> <p>अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 (1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के तहत परिवाद-पत्र पेश किया गया है। उक्त अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। अभियुक्त की ओर से विद्युत चोरी की राशि 25951/-रूपये जमा किए जाने की रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अतः उक्त संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त बहादुर सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से 10,000/-रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु पेश किया जाये तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।</p> <p>परिवादी अधिवक्ता अभियुक्त को परिवाद-पत्र एवं दस्तावेजों की नकलें प्रदान करें।</p> <p>आदेश की प्रति मूल परिवाद प्र0क्र0 94/2016 विद्युत के साथ संलग्न की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भिण्ड में निक्षेपित किया जावे।</p> | <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> |

(डॉ०कुलदीप जैन)

विशेष न्यायाधीश (विद्युत)
 भिण्ड (म0प्र0)